बाल संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा योजना मार्गदर्शिका

Save the Children 100 YEARS

बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान

VAAGDHARA

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	योजना	पृष्ठ सं
	प्रस्तावना	
1.	पालनहार योजना	1
2.	मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	2
3.	मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना	2
4.	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	2
5.	आपकी बेटी योजना	2
6.	सहयोग एवं उपहार योजना	3
7.	आस्था योजना	3
8.	मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना	4
9.	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना	5
10.	कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना	6
11.	जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं	7
12.	श्रम विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं	9
13.	प्रसूति स्वास्थ्य योजना	10
14.	राजस्थान कौशल एवम् आजीविका विकास निगम (RSLDC) की योजनाएं	10
15.	बालिकाओं के लिए संचालित योजनाएं	11-15
16.	आवेदन प्रारूप	16-28

प्रस्तावना

भारत जैसे विशाल देश में कई तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है एवं यहां रहने वाले लोगों की स्थिति भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। जहां एक तरफ बहुत ही अमीर तथा दुसरी तरफ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोग रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग एक समान हैं तथा सभी के अधिकार भी समान हैं, जिसके आधार पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार अपने स्तर पर कई सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाती है। जिससे निचले तबके के लोग भी समानान्तर जीवनयापन कर सकें।

सामाजिक सुरक्षा न केवल लाभार्थी को अपितु उसके पुरे परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान करता हैं एवं समाज के सभी वर्गों की जरुरतों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा विभिन्न तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इन सभी योजनाओं का मुख्य उददेश्य गरीब एवं अतिआवश्यकता वाले परिवारों को लाभ पहुंचाना हैं।

भारत में वर्तमान समय में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं मगर जागरुकता के अभाव में योजना का लाभ योग्य लाभार्थी तक नहीं पहुँच पाता हैं, यह मार्गदर्शिका वाग्धारा बांसवाड़ा एवं सेव द चिल्ड्रन जयपुर द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी एकत्रित करने का प्रयास है यह मार्गदर्शिका गाँव स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, सरकारी व गैर सरकारी अधिकारी, पंचायती राज सदस्य आदि के लिए एक सरल मार्गदर्शिका के रुप में कार्य करेगी तथा ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने में मददगार साबित होगी।

जयेश जोशी
सचिव, वाग्धारा

1. पालनहार योजना

योजना का नाम	पालनहार योजना
योजना के तहत देय लाभ	• 0–5 वर्ष तक की आयु के बच्चों हेतु– 500 रूपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी केन्द्र जाना अनिवार्य) • 6–18 वर्ष तक स्कूल में प्रवेश होने के बाद –1000 रूपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य) • वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु– 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त (विधवा एवं परित्यक्ता के अलावा सभी को) • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला तथा नाता जाने वाली माता की केवल 3 संतानो को लाभ।
पात्रता की शर्तें	बच्चों की उम्र जन्म से लेकर 18 वर्ष तक होनी चाहिए। • आवेदन की तिथि से संरक्षक परिवार कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहा हो। • पालनहार को ऐसे बच्चों को अपने घर में रखना होगा व उन्हें घर जैसी सामान्य सुविधाएं देनी होगी। • वार्ड पार्षद / सरपंच का प्रमाण–पत्र कि यह बच्चा अनाथ है, उपरोक्त कारणों से अनाथ है तथा वर्तमान में पालनहार के घर पर रहता है, जो इसकी पूरी देखभाल करते हैं। • पालनहार को बच्चे के माता–पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। • पालनहार परिवार (देखभाल करने वाला) की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। • नाता जाने वाली माता तथा परित्यक्ता के सन्दर्भ में संरपंच / वार्ड पार्षद द्वारा प्रमाणित पत्र की प्रति। 1. अनाथ बच्चे। 2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे। 3. विधवा माता के बच्चे। 4. पुर्नविवाहित विधवा माता के बच्चे। 5. एड्स पीडित माता / पिता के बच्चे। 6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता / पिता के बच्चे। 7. नाता जाने वाली माता के बच्चे। 8. विशेष योग्यजन माता–पिता के बच्चे। 9. परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला के बच्चे।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहा सपर्क करें	ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए – जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। * नजदीकी ई-मित्र तथा ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में पालनहार के पोर्टल पर दस्तावेज अपडेट करावें

योजना के बारे में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

2. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

योजना का नाम	लक्षित समूह एवं पात्रता	देय लाभ	कहां आवेदन करें	आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	कम से कम 58 साल के पुरूष एवं 55 साल की महिला आवेदक राजस्थान का निवासी हो एवं उनकी वार्षिक आय 48000 रू. से कम हो तथा पुत्र राजकीय सेवा में कार्यरत न हो ।	75 वर्ष तक 750 रू. प्रति माह 75 वर्ष व इससे अधिक उम्र वालो को 1000 रू. प्रति माह	• ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सम्बन्धित पंचायत समिति के ग्राम सेवक/सचिव/विकास अधिकारी से संपर्क करें। • शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले सम्बन्धित नगर पालिका अथवा नगर परिषद् में संपर्क करें।	चार पासपोर्ट फोटो, राशन कार्ड, मूल निवास, पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या (राष्ट्रीयकृत बैंक)

3. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

योजना का नाम	लक्षित समूह एवं पात्रता	देय लाभ	कहां आवेदन करें	आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना	18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा/तलाकशुदा/ परित्यकता जिसकी वार्षिक आय 48000 रू. से कम हो। आवेदक राजस्थान की निवासी हो। 3 वर्ष या अधिक वर्षो से पति से अलग रह रही हो	18 वर्ष से 59 वर्ष तक 500 रू प्रतिमाह 60 वर्ष से 74 वर्ष तक 1000 रू प्रतिमाह 75 वर्ष व अधिक 1500 रू प्रतिमाह	• ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सम्बन्धित पंचायत समिति के ग्राम सेवक/सचिव/विकास अधिकारी से संपर्क करें। • शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले सम्बन्धित नगर पालिका अथवा नगर परिषद् में संपर्क करें।	पहचान पत्र, राशन कार्ड, मूल निवास, पासपोर्ट फोटो चार, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पुर्नविवाह नहीं किया है उसका शपथ पत्र, परित्यकता का प्रमाण पत्र सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा, न्यायालय द्वारा जारी तलाक प्रमाण पत्र, मुस्लिम महिलाओं के लिए काजी द्वारा घोषित तलाकनामा एवं बैंक खाता संख्या (राष्ट्रीयकृत बैंक)

4. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

योजना का नाम	लक्षित समूह एवं पात्रता	देय लाभ	कहां आवेदन करें	आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	• किसी भी आयु का विशेष योग्यजन (बोने 3 फीट, 6 इंच से कम व हिजड़े) • विकलांगता 40 प्रतिशत से ज्यादा प्रमाणित हो • सालाना आय 60000/– से अधिक ना हो।	निःशक्तता का प्रकार : कुष्ठ रोग होने पर 1500 रू प्रतिमाह अन्य सभी निःशक्तता के प्रकार में 750 रू प्रतिमाह	• ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सम्बन्धित पंचायत समिति के ग्राम सेवक/सचिव/विकास अधिकारी से संपर्क करें। • शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले सम्बन्धित नगर पालिका अथवा नगर परिषद् में संपर्क करें।	पहचान कार्ड, राशनकार्ड, मूल निवास, पासपोर्ट फोटो चार, निःशक्तता प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, बैंक खाता संख्या (राष्ट्रीयकृत बैंक) बोनेपन के प्रमाण पत्र, किन्नर समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र।

5. आपकी बेटी योजना

योजना का नाम	लक्षित समूह एवं पात्रता	देय लाभ	कहां आवेदन करें	आवश्यक दस्तावेज
आपकी बेटी योजना	1 से 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाऐं, जिनके माता–पिता या उनमें से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो। बी.पी.एल कार्ड की अनिवार्यता	कक्षा 1 से 8 तक 1100/– रू. कक्षा 9 से 12 तक 1500/– रू. वार्षिक।	सम्बन्धित विद्यालय या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय।	मृत्यु प्रमाण पत्र, माता–पिता का आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड एंव राष्ट्रीयकृत बैक का खाता संख्या।

योजना के बारे में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

6. सहयोग एवं उपहार योजना

योजना का नाम	सहयोग एवं उपहार योजना
योजना के तहत देय लाभ	राज्य सरकार द्वारा विवाह के अवसर पर 10000/– रू. की आर्थिक सहायता। 10 वीं उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर 15000/–रू. अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। ग्रेजुएट कन्याओं के विवाह पर 20000/– रू. की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि।
पात्रता की शर्तें	बी.पी.एल एवं अन्त्योदय परिवारों के सभी वर्गों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।
आवदेन कैसे करें ?	संबन्धित जिला अधिकारी – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्धारित फॉर्म में विवाह की तिथी से एक माह पूर्व व विवाह से छः माह बाद तक आवेदन करना जरूरी है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां संपर्क करें	सम्बन्धित जिला अधिकारी – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में सम्पर्क करें।

7. आस्था योजना

योजना का नाम	लक्षित समूह एवं पात्रता	देय लाभ	कहां आवेदन करना है।	आवश्यक दस्तावेज
आस्था योजना	1. ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक सदस्य 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन होनें पर उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किये जाते है। 2. परिवार कि वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं हो।	आस्था योजना के अन्तर्गत आस्था कार्ड धारी परिवार को बी.पी.एल. के समान सुविधाएं यथाः–निःशुल्क चिकित्सा। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निःशुल्क मकान निर्माण सामग्री में रियायत आदि । वर्तमान में आस्था कार्ड धारी परिवार को राज्य सरकार के सभी सम्बंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा (आस्था कार्ड धारियों के लिये बजट का प्रावधान सभी सम्बंधित विभाग अपनी विभागीय योजनाओं के साथ रखवायेगें)	सम्बन्धित क्षेत्र के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में सम्पर्क करें।	आय प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं विकलांगता प्रमाण–पत्र।

8. मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना

परिचय :— राजकीय एवं अनुदानित बालगृहों के आवासियों एवं पालनहार लाभान्वितों (17 से 21 आयु वर्ग के बच्चें) को स्वावलम्बी बनाने हेतु व्यावसायिक , तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधा तथा कौशल विकास प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है।

पात्रता :— निम्न श्रेणी के बालक/बालिका योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य होंगेः—

1. 17 से 21 वर्ष के बालक /बालिकाएँ जो कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय एवं अनुदानित बाल गृहों के आवासी हैं।
2. पालनहार योजना के लाभान्वित बालक /बालिकाएँ जो कि 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं,योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करनें के पात्र होंगे।

नोट :—

1. उक्त बालक /बालिका सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हो।
2. उच्च / तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे बालक /बालिका को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करनें के पश्चात् भी कोर्स की समाप्ति तक योजना का लाभ दिया जाएगा।

योजना अन्तर्गत लाभ लेने का तरीका :—

- गृह अधीक्षक/जिलाधिकारी द्वारा अपने जिले के 17 से 21 वर्ष के पालनहार लाभान्वित एवं गृह में आवासीय बालक / बालिका को उनकी आयु एवं रुचि अनुसार प्रशिक्षण लेनें हेतु चिन्हित किया जाएगा।

- पालनहार के लाभान्वित बच्चे उक्त योजना का लाभ प्राप्त करनें हेतु सीधे ही जिलाधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं।

- चिन्हित बालक / बालिकाओं को प्रशिक्षण हेतु राजस्थान आजीविका एवं कौशल विकास संस्थान से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश दिलाया जायेगा । उक्त कोर्स की फीस विभाग द्वारा बच्चे का सम्बन्धित कार्यक्रम में प्रवेश देनें के पश्चात् सीधे ही राजस्थान आजीविका एवं कौशल विकास संस्थान को दी जायेगी।

- स्वरोजगार हेतु पात्रता रखने वाले बालक/बालिकाओं द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में पंजीयन पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा पंजीयन की प्रति संलग्न कर विभाग में आवेदन किया जाएगा । इसके उपरान्त बालक/बालिका को उसके बैंक बचत खाते के माध्यम से राशि 50,000 रुपये या वास्तविक लागत जो भी कम हो उपलब्ध कराई जायेगी।

- उच्च/तकनीकी शिक्षा हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शिक्षण संस्थान में प्रवेश करने वाले उक्त श्रेणी के बालक/बालिका को उनकी कोर्स फीस का पुनर्भरण विभाग द्वारा उनके बैंक बचत खाते के माध्यम से किया जायेगा।

योजना के बारे में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

९. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जन श्री बीमा योजना)

उद्देश्यः– बीपीएल परिवार को आर्थिक सम्बल एवं शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।

पात्रता :–

1. बीपीएल परिवार एवं आस्था कार्ड धारी परिवार का मुखिया/कमाऊ सदस्य जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच हो, मृत्य होने पर या दुर्घटना में शारीरिक अपंगता होने पर लाभ देय है।

2. बीपीएल परिवार के छात्र जो कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हो, छात्रवृत्ति हेतु पात्र।

लाभ –

1. मुखिया की सामान्य मृत्यु हो जाने पर 30000/– रूपये
2. दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में एवं स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता पर 75000/– रूपये की सहायता देय है। (दो आँख या दो हाथ/पैर क्षति होने पर)
3. अस्थाई शारीरिक अपंगता पर 37500/– रूपया देय है। (एक आँख या एक हाथ/पैर की क्षति होने पर)
4. योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति के परिवार के कक्षा 9 से 12 वीं में पढ़ने वाले 2 बच्चों को 100/– प्रतिमाह प्रति छात्र/छात्रा की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

स्वीकृत अधिकारी

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास अधिकारी–पंचायत समिति।
2. शहरी क्षेत्रों के लिये नगर निकायों के अधिकारी की अनुशंषा पर भारतीय जीवन बीमा निगम।

10. कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विधालय योजना

- विद्यालयों में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
- सिर पर मेला ढोनें वाले परिवारों की बालिकाएं ।
- सेक्स वर्कर परिवारों की बालिकाएं ।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं जो उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6,7 एवं 8वी में निःशुल्क अध्ययन करती हैं।

उद्देश्य तथा संकल्पना :–

इन विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्गों की उन बालिकाओं को जोड़ना है जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गमवास स्थानों में रहते हुए किसी भी कारणवश (यथा सामाजिक, पारिवारिक आदि) विद्यालय नहीं जा सकी अथवा जिनकी आयु कक्षा में अध्ययनरत अन्य बालिकाओं से अधिक हो चुकी है।

केजीबीवी में देय निःशुल्क प्रावधान :–

- सभी बालिकाओं को आवास ।
- पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री ।
- स्कुल यूनिफार्म, स्वेटर, जूते–मौजे ।
- दैनिक उपयोग की वस्तुएं तथा साबुन, तेल।
- तोलिया, टूथ–पेस्ट, कंघा, चप्पल, सेनेटरी नेपकिन इत्यादि।
- प्रतिमाह 50 रू. स्टाईफण्ड राशि भ्रमण अथवा अन्य निजी उपयोगी वस्तु के लिए।

केजीबीवी में प्रदत्त सुविधाएं :–

- मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण ।
- कम्प्यूटर प्रशिक्षण ।
- शैक्षणिक भ्रमण ।
- खेलकूद प्रतियोगिताएं।
- प्रतिमाह निःशुल्क स्वास्थ्य जॉच तथा दवाओं की सुविधा ।
- शैक्षणिक किशोरी मेले ।

योजना का नाम	लक्षित समूह एवं पात्रता	देय लाभ	कहां आवेदन करना है	आवश्यक दस्तावेज
कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना	• अनु.जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग की बालिकाऐं • उच्च प्राथमिक स्तर के अभाव वाले दुर्गम व दुरस्थ क्षेत्र की बालिकाऐं • प्राथमिक स्तर के बाद विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाऐं	निःशुल्क भोजन, पोषाहार, आवास, पौशाक, शिक्षा व प्रशिक्षण एवं मूलभूत सुविधाएं प्रति बालिका 50/– रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति शैक्षणिक भ्रमण हेतु।	सम्बन्धित क्षेत्र के कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास अधीक्षक से संपर्क करें।	जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं बी.पी.एल कार्ड

11. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

क्र.स	योजना का नाम	योजना का परिचय	कार्यकारी विभाग	कहां आवेदन करे	विशेष शर्ते
1	आश्रम छात्रावास का संचालन	जनजाति के छात्रो में शिक्षा के प्रति लगन बढ़ाने एवं अभिभावकों को आर्थिक भार से मुक्त करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	संचालित छात्रावास में/ परियोजना कार्यालय मे	सिर्फ जनजाति बालक बालिकाओं के लिए
2	आवासीय विद्यालय का संचालन	जनजाति वर्ग के छात्रों को भोजन, आवास, अध्ययन सुलभ करवाकर तथा शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से परिचित कराना	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सम्बंधित आवासीय विद्यालय	कक्षा 6 में नवीन प्रवेश रिक्त स्थानों पर वरीयता से
3	एकलव्य खेल छात्रावास का संचालन	जनजाति बालकों मे शिक्षा के साथ छिपी खेल प्रतिभाओ को उभारना, खेलों के प्रशिक्षण के साथ निकटम विद्यालय में अध्ययन की सुविधा	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सम्बंधित खेल छात्रावास परियोजना कार्यालय	जिला खेल अधिकारी द्वारा बैट्री टेस्ट और परीक्षण के आधार पर
4	आश्रम छात्रावासों मे निःशुल्क कोचिंग	आश्रम छात्रावासों मे आवासरत कक्षा 10(गणित,अंग्रेजी,विज्ञान) एवं 12(अंग्रेजी,विज्ञान वर्ग के 4 एच्छिक विषय) के छात्र/छात्राओं को कठिन विषयों की विशेष कोचिंग करने का प्रावधान	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सम्बंधित आ.छा. के अधीक्षक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।	सिर्फ जनजाति बालक बालिकाओं के लिए
5	छात्र गृह किराया योजना	जनजाति महाविद्यालयो के छात्रो को छात्रावास में आवासीय स्थान नहीं मिलने पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाना । 150/– प्रतिमाह की दर से 10 माह का भुगतान मकान किराये का पुनर्भरण किया जाता है।	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य	सिर्फ जनजाति बालक बालिकाओं के लिए
6	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	जनजाति महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने हेतु 350/– दर से 10 माह तक भुगतान करना	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य	सिर्फ जनजाति बालक बालिकाओं के लिए

क्र.स	योजना का नाम	योजना का परिचय	कार्यकारी एजेन्सी	कहां आवेदन करे	विशेष शर्ते
9	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना	जनजाति के प्रतिभाशली छात्र/छात्राओ को परीक्षाओं में ओर अधिक परिश्रम करने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप 250/– की दर से 10 माह तक भुगतान करना	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य	प्रथम बार प्रथम श्रेणी में तदुपरान्त 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर एवं नियमित अध्ययन पर
10	वुड एवं क्राफ्ट प्रशिक्षण आई.टी.आई संचालन	जनजाति के अभ्यार्थियो को विभिन्न होटल, एयरलाईन्स,शिप, रेल्वे केटरिगं, औद्योगिक, अस्पताल आदि मे केटरिंग हेतु प्रशिक्षण	वुड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट उदयपुर	प्राचार्य वुड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट उदयपुर	10+2 उत्तीर्ण अधिकतम आयु 27 वर्ष
11	आई.टी.आई संचालन	विभिन्न उद्योगों हेतु विभिन्न कामगारों को निरन्तर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार योग्य प्रशिक्षण मुहैया करवाना प्रशिक्षण दौरान छात्रवृत्ति देय।	तकनीकी विभाग	सम्बंधित आई.टी.आई प्राचार्य	कक्षा 10 व 12 उत्तीर्ण एवं आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष
12	कम्प्युटर प्रशिक्षण	जनजाति युवक युवतियों को सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों, कार्यालयों में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से निःशुल्क कम्प्युटर प्रशिक्षण दिया जाता है	जिले मे आवंटित संस्था	आवंटित संस्था के व्यवस्थापक	10+2 के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट बनाकर
13	प्रशासनिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	राज.प्रशा.सेवा एवं सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में जनजाति अभ्यार्थीयो की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानो को फीस का शत प्रतिशत भुगतान।	माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (टी.आर.आई.) उदयपुर	माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (टी.आर.आई.) उदयपुर	सिर्फ जनजाति बालक बालिकाओं के लिए
14	पी.एम.टी./पी.ई.टी. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	जनजाति छात्राओ को पी.एम.टी./ पी.ई.टी. परीक्षा हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों में पुर्व प्रशिक्षण पर शत प्रतिशत फीस का पुनर्भरण, आवास भत्ता व स्टेशनरी व्यय	माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (टी.आर.आई.) उदयपुर	माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (टी.आर.आई.) उदयपुर	सिर्फ जनजाति बालक बालिकाओं के लिए
15	मुफ्त साईकिल वितरण	जनजाति छात्राओं की शिक्षा सम्बंधी प्रोत्साहन एवं जागरूकता हेतु निःशुल्क साईकिल वितरण कक्षा 9 उत्तीर्ण एवं 10 में अध्ययनरत	जिला शिक्षा अधिकारी	सम्बंधित अध्ययनरत संस्था	सिर्फ जनजाति बालक बालिकाओं के लिए
16	मुफ्त स्कुटी वितरण	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने हेतु कक्षा 10 एवं 11 में 75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक छात्राओं को निःशुल्क स्कुटी वितरण	जिला शिक्षा अधिकारी	सम्बंधित अध्ययनरत संस्था	सिर्फ जनजाति बालक बालिकाओं के लिए

12. श्रम विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं

1 जनवरी 2018 से लागू की गई "भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना" के अन्तर्गत शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य बीमा तथा जीवन व भविष्य सुरक्षा की बहुआयामी योजना

निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना

सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार की **"भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना"** से लाभान्वित करने के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान **विभाग** द्वारा राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेन्स एजेन्सी को किया गया है।

हितलाभ - योजना में मान्य 900 से अधिक सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने पर **सामान्य बीमारियों में 30 हजार रुपये तक और चिन्हित गंभीर बीमारियों में 3 लाख रुपये** तक वार्षिक निःशुल्क इलाज की सुविधा (बीमा कवर)।

पात्रता - सभी पंजीकृत हिताधिकारी व उनके परिवार के सदस्य पात्र।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें - आवश्यकता होने पर किसी भी मान्य अस्पताल में अपना पंजीयन परिचय पत्र (मजदूरी डायरी) तथा भामाशाह कार्ड/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड लेकर जावें और निःशुल्क इलाज का लाभ उठाएं। मान्य अस्पतालों की सूची www.rajswasthya.nic.in/baby.htm पर उलब्ध हैं।

सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर सहायता योजना

पंजीकृत हिताधिकारी की मृत्यु होने अथवा दुर्घटना में स्थायी अपंगता या घायल होने पर सहायता प्रदान करने की योजना

हितलाभ

1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये
2. स्थायी व पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रुपये
3. स्थायी व आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रूपये
4. सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये तथा
5. घायल होने 20 हजार रूपये तक सहायता राशि।

पात्रता

1. पंजीकृत हिताधिकारी हो।
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर FIR व पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
3. सामान्य मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण-पत्र।
4. चिकित्सक का प्रमाण-पत्र।

आवेदन कैसे करें - आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज लगायें और ई-मित्र केन्द्र से ऑनलाईन आवेदन करें।

भामाशाह प्लेटफॉर्म से योजना का हितलाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में।

आवेदन की समय सीमा - मृत्यु की तिथि से 3 वर्ष। घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तिथि से 6 माह।

13. प्रसूति सहायता योजना

महिला हिताधिकारियों को प्रसूति सहायता।

हितलाभ - लड़के का जन्म होने पर 20 हजार रूपये तथा लड़की का जन्म होने पर 21 हजार रूपये।

पात्रता -

1. महिला पंजीकृत हिताधिकारी हो अथवा पंजीकृत पुरुष हिताधिकारी की पत्नी हो।
2. आयु कम से कम 20 वर्ष हो
3. प्रसूति संस्थागत हो अर्थात् स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में प्रसव हुआ हो।
4. सहायता दो प्रसव के लिए देय, परन्तु पंजीयन से पूर्व दो या अधिक संतान होने पर सहायता देय नहीं होगी।

भामाशाह प्लेटफॉर्म से योजना का हितलाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में।

आवेदन की समय सीमा - प्रसव तिथि से 90 दिवस।

14. राजस्थान कौशल एवम् आजीविका विकास निगम (RSLDC) की योजनाएं

(i) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)

यह योजना 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब युवाओं के लिये है। इस योजना के तहत् युवाओं को विभिन्न प्रकार के कोर्स कराये जाते है तथा उसके बाद नौकरी भी लगवाई जाती है।

(ii) नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP)

नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये जरुरतमंद युवाओं को अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ दिया जाता हैं ताकि उनका कौशल विकास हो सके तथा वो रोजगार प्राप्त कर सकें।

(iii) रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)

यह कार्यक्रम युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार से जुड़े विभिन्न पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्यक्रम 18 से 35 वर्ष के लोगों के लिये है तथा शैक्षणिक योग्यता 5 से 12 कक्षा के बीच है।

(iv) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य जरुरतमंद युवाओं को उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण देना है ताकि वो रोजगार पा सके। प्रशिक्षण देने के बाद युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जाता हैं।

15. बालिकाओं के लिए संचालित योजनाएं

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	पात्रता	देय लाभ	आवेदन कहाँ किया जाये/ नोडल विभाग
बालिका गृह योजना	6 से 18 वर्ष की निराश्रित बालिकाओं को विकास व पुनर्वास प्रदान करना।	6 से 18 वर्ष की निराश्रित बालिकाएं	देखरेख संरक्षण, उपचार, विकास व पुनर्वास प्रदान करना, जिसके तहत निशुल्क आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाव एवं शिक्षा उपलब्ध कराई जाती हैं।	जिला बाल कल्याण समिति
मुख्यमंत्री राजश्री योजना	राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना एवं उनके स्वास्थ्य व शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना।	ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात् हुआ है तथा जिनके माता-पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो। राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिए। राज्य के बाहर की प्रसुताओं को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नहीं होंगे। इस योजना का लाभ संस्थागत प्रसव होने पर ही प्राप्त होगा।	योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता/ अभिभावक को विभिन्न चरणों में कुल 50,000 रु. का भुगतान निम्नानुसार होगा :- 1. बालिका के संस्थागत प्रसव पर 2500 रु की सहायता 2. बालिका के एक वर्ष/प्रथम वर्षगांठ पर 2500 रु. 3. बालिका के राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश पर 4000 रु. 4. छठी कक्षा में प्रवेश पर 5000 रु. 5. दसवी कक्षा में प्रवेश पर 11000 रु. 6. राजकीय विद्यालय से 12 कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25000 रु. सहायता	अटल सेवा केन्द्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों आंगनबाड़ी केन्द्र/ स्वास्थ्य केन्द्र आदि के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग।
बालिका गरिमा संरक्षण एवं सम्मान योजना-2016	बालिकाओं के प्रति हिंसा व शोषण के विरुद्ध कार्य करने वाली बालिकाओं, संस्थाओं व मानदेय कर्मियों आदि को मान्यता व प्रोत्साहन देना।	18 साल से कम आयु की बालिका जिसने स्वयं या किसी अन्य महिला/ बालिका के साथ हिंसा/शोषण को रोका हो मानदेयकर्मी अन्य व्यक्ति महिला एवं पुरुष संस्थाएं	25000 रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह	महिला अधिकारिता विभाग

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	पात्रता	देय लाभ	आवेदन कहाँ किया जाये/ नोडल विभाग
निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना	रोजगार व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना ।	16 से 40 वर्ष तक आयु तक की बालिकाएं एवं महिलाएं	निःशुल्क कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स	राजस्थान नॉलेज कोर्पोरेशन लिमिटेड व निदेशालय महिला अधिकारिता
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	कमजोर तबके के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करना ।	बीपीएल कार्ड धारक परिवार मनरेगा में काम करने वाले (पिछले वित्तीय वर्ष में 15 दिन से अधिक काम किया हो) रिक्शा चालक/टेक्सी ड्राईवर, सफाई कर्मचारी, गली या सड़क पर सामान बेचने वाले, खनन कार्य करने वाले, घरेलू नौकर, रेल्वे कूली ।	परिवार के 5 सदस्यों को लाभ मिल सकेगा । अस्पताल में भर्ती होने पर सालाना 30,000 का सहयोग व 1000 रु. तक किराया देय होगा । एक बार पंजीकरण कराने की रु. 30 देने होंगे ।	स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार
प्रेरणा योजना	बाल विवाह रोकने, परिवार नियोजन एवं महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ।	19 वर्ष के बाद किसी बी.पी.एल. परिवार की बालिका के विवाह व दो वर्ष बाद बच्चा होने पर	किसी लड़की का विवाह 19 वर्ष में हो और पहले बच्चे का जन्म शादी के दो साल बाद हो तो लड़का होने पर 10,000 व लड़की होने पर 12,000 रुपये की वित्तिय सहायता	स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना निर्माण श्रमिकों/हिताधिकारियों के बच्चों की शिक्षा व कौशल विकास को प्रोत्साहित करने हेतु योजना के तहत् शिक्षा व कौशल विकास की विद्यमान 3 योजनाएं (शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना तथा कौशल शक्ति योजना)	श्रमिकों/हिताधिकारियों के बच्चों की शिक्षा व कौशल विकास को प्रोत्साहन देना ।	विभाग में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हों । हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, परन्तु यदि पति-पत्नी दोनों पंजीबद्ध हिताधिकारी हो तो पति-पत्नी के अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । परन्तु मेधावी छात्र/ छात्राओं का नगद पुरस्कार के लिए कोई सीमा नहीं होगी । कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षा में सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्यनरत हो, अथवा राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आईटीआई	कक्षा 6 से 8 (छात्र 8000 रु. व छात्रा/विशेष योग्यजन को 9000 रु.) कक्षा 9 से 12 छात्र 9000 रु. व छात्रा/विशेष योग्यजन को 10,000 रु.) आईटीआई (छात्र को 9000 रु. व छात्रा/विशेष योग्यजन को 10,000 रु.) डिप्लोमा (छात्र 10,000 रु.) व छात्रा/विशेष योग्यजन को 11,000 रु.) करने वालों हेतु छात्रवृत्ति स्नातक सामान्य (छात्र 13,000 रु. व छात्रा/विशेष	स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	पात्रता	देय लाभ	आवेदन कहाँ किया जाये/ नोडल विभाग
		एवं पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो । मेधावी छात्र-छात्रा द्वारा नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा 75 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो । डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा, इंजिनियरिंग या अन्य प्रॉफेशनल परीक्षा सहित) 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो/उत्तीर्ण की हो । हिताधिकारी की पत्नी को छात्रवृत्ति की	योग्यजन को 15,000 रु.) स्नातक प्रोफेशनल (छात्र 18,000 रु. व छात्रा/विशेष योग्यजन को 20,000 रु.) स्नातकोत्तर सामान्य (छात्र 15000 रु. व छात्रा/विशेष योग्यजन को 17000 रु.) स्नातकोत्तर प्रोफेशनल (छात्र 23,000 रु. व छात्रा/विशेष योग्यजन को 25,000 रु.) करने वालों हेतु छात्रवृत्ति तथा कक्षा 8 से 10 (4000 रु.) कक्षा 11 से 12 (6,000 रु.) डिप्लोमा (10,000 रु.) स्नातक (8,000 रु.) स्नातकोत्तर (12,000 रु.) स्नातक (प्रोफेशनल) (25,000 रु.) स्नातकोत्तर (प्रोफेशनल) (35,000 रु.), मेधावी छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार	स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार
गार्गी पुरस्कार व प्रोत्साहन योजना	बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना ।	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की 10 वीं या 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या उससें अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त बालिकाएं	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10 वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त बालिकाओं को कक्षा 11 व 12 वीं में नियमित अध्ययन करने पर 3000 रु. प्रतिवर्ष पुरस्कार स्वरूप और कक्षा 12 वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त बालिकाओं को 5000 रु. व प्रमाणपत्र ।	शिक्षा विभाग

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	पात्रता	देय लाभ	आवेदन कहाँ किया जाये/ नोडल विभाग
निःशुल्क शिक्षा योजना	स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहन देना।	कक्षा 1 से 12 वीं सभी बालिकाएं	बालिकाओं के लिए शिक्षण शुल्क में छूट व निःशुल्क पाठ्यपुस्तक	शिक्षा विभाग
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना	बालिका शिक्षा को बढ़वा देना।	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं, 2 किमी, से अधिक दूरी मॉडल स्कूल की कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं 5 किमी. से अधिक दूरी अन्य राज. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक की 9 से 12 की बालिकाएं 5 किमी. दूरी	मॉडल स्कूल कक्षा 6 से 8 हेतु 20 रु. प्रति दिवस, प्रति बालिका मॉडल स्कूल कक्षा 9 से 12 हेतु 25 रु. प्रति दिवस, प्रति बालिका अन्य राज. माध्यमिक/उच्च माध्य. 9 से 12 हेतु 20 रु. प्रति दिवस, प्रति बालिका	संबंधित विद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद/ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण/प्रोत्साहन राशि योजना	अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिका शिक्षा को उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करना।	अन्य पिछड़ा वर्ग की नियमित छात्राओं हेतु 12 वीं कक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने पर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष स्नातक छात्राओं और स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध कर पूर्व परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं हेतु	अन्य पिछड़ा वर्ग की नियमित छात्राओं हेतु 12 वीं कक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने पर स्कूटी वितरण द्वितीय एवं तृतीय वर्ष स्नातक छात्राओं हेतु 10000 रु. और स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध की पूर्व परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करनें वाली छात्राओं हेतु 20000 रु. की प्रोत्साहन राशि।	कॉलेज शिक्षा विभाग
विदेश में अध्ययन योजना	बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।	जिले में कक्षा 10 वीं में प्रथम तीन स्थान पर मेरिट में आने वाली बालिकाएं	कक्षा 10 वीं में प्रथम तीन स्थान पर मेरिट में आने वाली बालिकाओं के निःशुल्क विदेश अध्ययन हेतु संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।	शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार
जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	अनुसुचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना।	जिले में कक्षा 10 वीं में प्रथम तीन स्थान पर मेरिट में आने वाली बालिकाएं	बालिका अनुसुचित जनजाति क्षेत्र की मूल निवासी हो। माता/पिता आयकरदाता नहीं हो। बालिका राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो। राज्य में संचालित राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हों।	संचालिता विद्यालय/ जनजाति क्षेत्र विभाग के छात्रावास

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	पात्रता	देय लाभ	आवेदन कहाँ किया जाये/ नोडल विभाग
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना	दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान करने हेतु आर्थिक लाभ उपलब्ध कराना।	कक्षा 1 से 12 वीं तक के सभी सरकारी विद्यालय के बच्चे	पॉलिसी के आधार पर भुगतान (बालक को 10 रु. एवं बालिका को 5 रु. अंशदान देना आवश्यक हैं।)	जिला शिक्षा अधिकारी एवं एलआईसी
साईकिल वितरण कार्यक्रम	बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना।	सभी लड़कियों जो कक्षा 10 वीं में पढ़ती हैं और जिनकी विद्यालय की घर से दूरी 2-5 किलोमीटर हैं।	300/- अंशदान परन्तु यदि बालिका आदिवासी है तो उसके अंशदान की राशि टी.ए.डी. विभाग द्वारा पुनर्भुगतान किया जाएगा।	जिला शिक्षा अधिकारी ऐएवं टी.इ.डी. विभाग के परियोजना अधिकारी
मूक, बधिर एवं मेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार	मुक्त, बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं की शिक्षा को बढ़वा देना।	राजकीय मूल, बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को	प्रतिवर्ष 2000 रुपए आर्थिक सहायता	संचालित शिक्षा विभाग
इन्दिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना	बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना।	सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए जो कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं में जिले में प्रथम स्थान पर आयी हों।	कक्षा 10 वीं के लिए 75000 रु. एवं कक्षा 12 वीं के लिए 100000 रु. पुरस्कार राशि।	सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन/ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय
निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना	किशोरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक में अध्यनरत 13 से 19 साल की बालिकाएं	सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण	स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में
मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना	बालिकाओं आत्मरक्षा प्रशिक्षण उपलब्ध करना।	कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाएं	कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण	खेल एवं युवा मामलतदार विभाग

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की विधवाओं/परित्यक्ता महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के अनुदान हेतु

आवेदन पत्र

1. आवेदिका का नाम ....
2. पति का नाम(स्वर्गीय) ....
3 आयु..........
4. निवास स्थान का पूरा पता(यथा मकान नम्बर,मोहल्ला,गली, पोस्ट ऑफिस,कस्बा,जिला इत्यादि)..........
....
5. पति की मृत्यु की तिथि(प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)..........
6. पति की मृत्यु का कारण..........
7. मासिक आय(हर स्त्रोत से)(प्रमाणित आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)..........
8. आवेदिका का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम व पता

....
....

9. परिवार के सदस्यों का विवरण(राशन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि)

क्र.स.	नाम	जन्म तिथि	आवेदिका से सम्बन्ध	शिक्षा

10. विवाह योग्य पुत्री/पुत्रियों का विवरण (जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

क्र.स.	नाम	जन्म तिथि	शिक्षा

11. क्या विधवा पेन्शन प्राप्त करती है?(हाँ/नहीं)..........
12. यदि हाँ,तो पेन्शन ऑर्डर संख्या व ट्रेजरी का नाम(पीपीओ ऑर्डर की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)..........
....
13. क्या परिवार चयनित परिवारों की सूची में सम्मिलित है(हाँ/नहीं) ....
14. यदि हाँ तो नम्बर अंकित करें(कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ....
15. प्रस्तावित वर /वरों का विवरण–

नाम	पिता का नाम	पूरा पता	जन्म तिथि	शिक्षा	व्यवसाय

16. प्रस्तावित विवाह तिथि..........
17. आवेदन की तिथि..........

हस्ताक्षर आवेदिका
मय पूर्ण पता

(अनुरोध प्रत्र)

(विधायक / प्रधान / महापौर(नगर निगम) / अध्यक्ष(नगर पालिका / नगर परिषद्) / सदस्य पंचायत समिति / जिला परिषद् / पार्षद अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति.. धर्मपत्नि स्व.श्री. .... निवासी.. को गत........................वर्षो से जानता / जानती हूँ। इनके पति की मृत्यू दिनांक.. को..(स्थान अंकित करे)हुई थी। आवेदिका की मासिक आय हर स्त्रोत से कुल. .... है तथा इसके परिवार में अन्य कोई वयस्क कमानें वाला नहीं है। आवेदिका कि पुत्री कु. ....जन्म तिथि.. का विवाह श्री... पुत्र... आयु...................................... निवासी.. के साथ दिनांक... को होना निश्चित हुआ है। आवेदिका को योजनान्तर्गत अनुदान राशि स्वीकृत करनें हेतु अनुशंसा करता / करती हूँ।

हस्ताक्षरः

दिनांक :

नाम :

स्थान :

मोहर :

(आवेदिका का शपथ पत्र)

(शपथ पत्र 10 / – रुपये के नॉन –ज्यूडिशियल स्टांप पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो)

मैं श्रीमति.. धर्मपत्नि स्व.श्री.. निवासी.. .... ईश्वर को साक्षी मानकर शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी कथन सत्य है,कोई भी तथ्य असत्य नहीं है। यदि किसी भी चरण पर कोई तथ्य गलत या असत्य पाया जाता है, तो विभाग द्वारा स्वीकृत राशि जमा करानें के लिये वचनबद्ध हूँ तथा ऐसे कृत्य के लिये विभाग मेरे विरुद्ध कार्यवाही करनें के लिए अधिकृत होगा ।

हस्ताक्षर आवेदिकाः

दिनांक :

स्थान :

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, 22 गोदाम पूलीया के पास, जयपुर

आवेदनकर्ता
फोटो

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र

1 आवेदक का नाम ....
2 माता/पिता/संरक्षक/पालनहार ....
3 जन्म दिनांक .... जाति .... लिंग ....
4 निवास स्थान का पूरा पता (यथा मकान नम्बर/मौहल्ला/ग्राम/पोस्ट/तह./जिला जहां निवास कर रहा है
....
.... फोन नं./मोबाईल नं ....
5 शैक्षणिक योग्यता ....
6 व्यवसायिक प्रशिक्षण जिसे अर्जित करना चाहता है ....
7 योजनान्तर्गत पूर्व में अर्जित व्यवसायिक प्रशिक्षण (यदि कोई) ....
8 उच्च/तकनीकी शिक्षा जिसे अर्जित करना चाहता है ....
9 उच्च/तकनीकी शिक्षा कहां लेना चाहता है (मान्यता प्राप्त संस्था का नाम/पता) ....
....
10 क्या उच्च/तकनीकी शिक्षा हेतु संस्थान में प्रवेश ले चुका है, यदि हाँ तो कब से ....
पंजियन क्रमांक .... दिंनाक..............................
11 उच्च/तकनीकी शिक्षा कोर्स की समयावधि ....
12 संस्थान द्वारा निर्धारित फीस विवरण ....
13 प्रवेश प्रक्रिया/परीक्षा/साक्षात्कार/अन्य/चयन पूर्व परिक्षा ....
14 राज्य सरकार की अन्य योजना जिसके अन्तर्गत आवेदक द्वारा उच्च/तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृति या अनुदान प्राप्त किया जा रहा है (योजना का नाम/अनुदान राशि)..............................
15 स्वरोजगार जिसे अर्जित करना चाहता है..............................
16 स्वरोजगार हेतु जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग विभाग से प्राप्त विवरण एवं अनुमानित व्यय ....
....
17 उद्योग स्थापित करने हेतु कराये गये पंजीयन का प्रामण पत्र क्रमांक ....
18 अनुमानित लागत का विवरण ....
19 उद्योग हेतु प्रस्तावित सीान का विवरण ....
20 अनाथ बच्चों के परिवार का माता/पिता/संरक्षण/पालनहार का विवरण नाम ....
पता .... व्यवसाय .... आय ....
21 बैंक खाता संख्या (एस.बी.बी.जे.).............................. शाखा ....
22 पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वित है तो पंजीयन क्रमांक ....

दिनांक ....

( )
आवेदक का हस्ताक्षर मय नाम

परिशिष्ट – 2

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
पालनहार योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र

पालनहार की श्रेणी (कृपया सम्बन्धित श्रेणी पर ✔ का चिन्ह लगायें।)

1. अनाथ बच्चों के पालनहार।
2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चों के पालनहार।
3. विधवा माता पालनहार।
4. पुर्नविवाहित विधवा माता के बच्चों के पालनहार।
5. एड्स पीडित माता/पिता के बच्चों के पालनहार।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चों के पालनहार।
7. नाता जाने वाली माता के बच्चों के पालनहार।
8. विशेष योग्यजन माता–पिता की सन्तान को पालनहार।
9. परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला के बच्चों को पालनहार।

नाम, उम्र	( )	( )	( )	( )
पालनहार का फोटो	(बच्चों की फोटो व नाम जिनके लिए पालनहार द्वारा आर्थिक सहायता चाही गई है।)			

1. पालनहार का नाम : ....
2. पालनहार के पिता /पति का नामः ....
3. जन्म तिथि : ....
4. जाति वर्ग (कृपया सम्बन्धित श्रेणी पर ✔ का चिन्ह लगावें। : (अनूसूचित जाति/ अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य)
5. धर्म : ....
6. निवास स्थान का पूर्ण पता (यथा मकान नम्बर, मोहल्ला, गली, पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला) : ....
7. दूरभाष निवास/कार्यालय/मोबाईल : ....
8. वर्तमान व्यवसाय : ....
9. वार्षिक आय (निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र संलग्न करें) : अंको में .... शब्दों में ....
10. क्या बी.पी.एल. में चिन्हित है, यदि हां तो क्रमांक व वर्ष अंकित करें। : ....
11. पालनहार का राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता संख्या व बैंक का नाम, पता आई.एफ.एस. कोड नं : ....
    बैंक पास बुक की फोटोकॉपी संलग्न करें।

12. पालनहार द्वारा जिन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता चाही गई है उनका विवरण

क्र.स.	नाम (बालक / बालिका)	जाति	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा	अध्ययनरत विद्यालय का नाम	अन्य
1							
2							
3							
4							

13. बच्चों के पिता का विवरण

नाम	पूर्ण पता	एड्स / कुष्ठरोगी प्रमाण पत्र	मृत्यु तिथि / दण्डादेश तिथि	मृत्यु / दण्डादेश का कारण	दण्डादेश / मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक	विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र प्रतीशत	परित्यक्ता / तलाकशुदा के आदेश न.

14. बच्चों की माता का विवरण

नाम	पूर्ण पता	एड्स / कुष्ठरोगी प्रमाण पत्र	मृत्यु तिथि / दण्डादेश / पुनर्विवाह तिथि / नाता जाने की तिथी	मृत्यु तिथि / दण्डादेश / पुनर्विवाह / नाता जाने के समय आयु	मृत्यु तिथि / दण्डादेश / पुनर्विवाह / नाता प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक	विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र प्रतीशत	परित्यक्ता / तलाकशुदा के आदेश न.

15. घोषणा :

मै शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूं कि आवेदन पत्र में अंकित विवरण व संलग्न किए दस्तावेज के तथ्य सही व सत्य है। मैने पालनहार योजना के नियम पूर्णत। पढ़ / सुन / जान लिए है। मैं योजना के अनुसार आवेदन में उल्लेखित बच्चों को अपने परिवार में रखकर अपने स्वयं के बच्चों की भांति भोजन, वस्त्र आवास, शिक्षा व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं। मेरे द्वारा दिए गए तथ्य असत्य / अपूर्ण / भ्रामक पाए जाने अविा योजना के नियमों की पालना नहीं करने पर विभाग द्वारा दिए गए आदेश / निर्णय / विधिक कार्यवाहही की मेरे द्वारा पूर्णतः अनुपालना की जावेगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
(पालनहार)

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

1. पालनहार का निर्धारित प्रपत्र में आय प्रामण पत्र (विधवा माता के विधवा पेशन योजना में लाभान्वित होने पर पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति संलग्न करने पर आय प्रमाण पत्र व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं)या बी.पी.एल. चयनित होने पर आय प्रमाण पत्र जरूरी नही।
2. बैंक खाता की पास–बुक की प्रति।
3. अनाथ बच्चों के प्रकरणों में माता–पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र ।
4. न्यायिक दण्डादेश से दण्डित माता–पिता के बच्चों के प्रकरणों में दण्डावेश की प्रति।
5. पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान के प्रकरणों में विधवा माता के पुर्नविवाह के प्रमाण पत्र की प्रति।
6. नाता जाने वाली माता की संतान के प्रकरणों में माता को नाते गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र।
7. जाति प्रामण पत्र।
8. अनाथ बच्चों / न्यायिक दण्डावेश से दण्डित माता–पिता के बच्चों / नाता जाने वाली माता / पुर्नविवाह माता की संतान के प्रकरणों में संरपंच / वार्ड पार्षद का प्रामण पत्र।
9. छ वर्ष तक आंगनवाड़ी एवं 6–18 आयु वर्गु के बच्चों का विद्यालय द्वारा जारी अध्ययनरत प्रमाण पत्र।
10. एड्स रोग सं पीडित माता / पिता की संतान के प्रमाण।
11. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता / पिता की संतान के प्रकरणों में पीड़ीत को सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण–पत्र ।
12. विशेष योग्यजन का 40 प्रतिशत से अधिक का चिकीत्सा प्रमाण पत्र, पी.पी.आं. आय प्रमाण पत्र।
13. परित्यक्ता / तलाकशुदा प्रमाण पत्र।

पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों के पालन–पोषण करने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती ....पिता/पत्नी श्री .... निवासी .... निम्न अनाथ बच्चों को अपने परिवार में रखकर स्वयं की संतान की भांति पारिवारिक माहौल में पालन–पोषण, शिक्षा आदि की सुविधाऐं उपलब्ध करा रहे है–

क्र.स.	अनाथ बालक/ बालिका का नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा/आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	पालनहार के पास कब से रह रहे है

दिनांक :

(हस्ताक्षर)
(सरपंच, ग्राम पंचायत/प्रधान, पंचायत समिति/ वार्ड पार्षद, नगरीय निकाय)
नाम : ....
मोहर : ....

सचिव
ग्राम पंचायत
मय मोहर

- वे बच्वें जिनके माता–पिता की मुत्यु हो गई हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदण्ड/ आजीवन कारावास से दण्डित किए गए हो अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुर्नविवाह के पश्चात अपनी संतानों को त्याग दिया हो, के लिए ही उक्त प्रामण पत्र की पूर्ति कराई जानी है।

कार्यालय (शिक्षण संस्था का नाम) : ....

क्रमांक :
दिनांक ....

विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षण संस्था के रिकॉर्डानुसार निम्न विद्यार्थी इस विद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र .... में नियमित रूप से अध्ययनरत है–

क्र.स.	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा	शिक्षण संस्था में पंजीयन/ नामांकन संख्या एवं दिनांक

(हस्ताक्षर)
शिक्षण संस्था प्रधान
जारी कर्ता का नाम : ....
मोहर : ....

नोट – बालक यदि अन्य विद्यालय में अध्ययनरत है तो, उक्त प्रारूप की फोटो प्रति कराकर प्रमाणित करावें।

कार्यालय (ग्राम पंचायत) : ....

क्रमांक : दिनांक :

नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत् सम्बन्धित ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र हेतु) द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ....पत्नी श्री .... निवासी .... अपने परिवार को छोडकर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरूष (नाम यदि ज्ञात हो).................................. के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है।—

क्र.स.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह प्रमाण पत्र ग्राम सभा की दिनांक .... को आयोजित बैठक में की गई अनुशंषा के आधार पर आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
(सचिव, ग्राम पंचायत)
जारी कर्ता का नाम : ....
मोहर : ....

कार्यालय (नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका) : ....

क्रमांक : दिनांक ....

नाता जाने वाली माताओं की संतान हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता स्वीकृति बाबत् सम्बन्धित स्थानीय निकाय (नगरीय क्षैत्र हेतु) द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ....पत्नी श्री .... निवासी . ... अपने परिवार को छोडकर कम से कम एक वर्ष पूर्व अन्य पुरूष (नाम यदि ज्ञात हो).................................. के साथ नाता चली गई है एवं अपने पूर्व पति से उत्पन्न निम्न संतानों को त्याग दिया गया है।—

क्र.स.	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
जारी कर्ता का नाम : ....
मोहर : ....

(हस्ताक्षर)
पार्षद नगरपालिका

प्रारूप एस.एस.पी. ।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन प्रपत्र

फोटो

(संबंधित पर सही का निशान लगायें)

पेंशन का प्रकार : वृद्धावस्था विधवा/परित्यक्ता विशेष योग्यजन

आवेदन के निवास क्षेत्र का विवरण : ....

जिला : ....

तहसील/पंचायत समिति : ....

ग्राम/वार्ड/कस्बा/शहर : ....

विधान सभा क्षेत्र : ....

लोकसभा क्षैत्र : ....

1. आवेदक का नाम एवं आधार कार्ड संख्या : ....
2. पुरूष या स्त्री : पुरूष स्त्री
3. पिता या पति का नाम : ....
4. धर्म : .... जाति ....
5. व्यवसाय : ....
6. पति की मृत्यु/परित्सक्तता प्रत्र की तिथि (विधवा/परित्यक्तता पेंशन के प्रकरण में) :
7. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत (प्राधिकृत चिकित्सक : अंधता कुष्ठ रोग मुक्त श्रवण शक्ति ह्रास चलन निःशक्तता
   बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रामण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न : मानसिक मंदता कम दृष्टि मानसिक रूग्णता
   करें) (निःशक्तता पंशन के प्रकरण में) : प्रतिशत
8. पूरा पता : ....
   ....
   .... पिनकोड
9. जन्म तिथि एंव आयु(आवेदन की तारिख को आयु) : आयु वर्ष माह
   (उल्लेखित आयु के बारे में प्रमाण पत्र संलग्न है/नही है।)
10. पेंशन भुगतान प्राप्त करने का विकल्प : न्रगद मनीऑर्डर डाकघर बचत खाता
    बैंक बचत खाता
11. आवेदक द्वारा पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक/पोस्ट ऑफिस में खुलवाये गये बचत खाते का विवरण
    (1) बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम व पता : ....
    बचत खाता संख्या
12. पहचान चिन्ह : 1 .... 2.................... 3....................
13. बी.पी.एल. विवरण
    (1) बी.पी.एल सर्वेक्षण का वर्ष :
    (2) बी.पी.एल. का स्थान : ....
    (3) बी.पी.एल मेम्बर आई.डी. : ....
    (4) बी.पी.एल. मेम्बर आई.डी. : ....
14. आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण और उनकी आयु : नामः आयु
    (क) पिता : .... वर्ष
    (ख) माता : .... वर्ष
    (ग) पति/पत्नी : .... वर्ष

टिप्पणी : (1) केवल सुसंगत मदों को ही आयु सहित भरा जाये। विसंगता मदों को का ट दिया जाए।

: (2) विशेष योग्यजनों पेंशन के आवेदकों द्वारा ही माता ही पिता का विवरण दिया जाता है।

15. क्या संबंधी / संबंधियों के कोई आय अथवा आयु का कोई स्त्रोत है ? (हां / नही) : हां. नही

16. क्या कोई संबंधी लगातार लापता है? (हां / नही) : हां. नही

यदि है तो विस्तृत वर्णन (नाम, आयु, तारीख जिससे लापता हो) : नाम ....

आयु

17. क्या कोई सम्बन्धी जीविकोपार्जन के लिए सर्वथा समर्थ हो गया है (हां / नही) का विवरर्ण ? : हां. नही

नामः आयु

(क) पिता : .... वर्ष

(ख) माता : .... वर्ष

18. मतदाता पहचान पत्र संख्या : राशन कार्ड संख्या :

19. श्रेणी : सामान्य ओ.बी.सी. एस.सी. एस.टी. अल्प संख्यक

20. आवेदक के स्वयं के सम्पर्क नम्बर : मो. ले.ला.

21. आवेदक के सम्बन्धी के सम्पर्क नम्बर :मो. ले.ला.

मो. / ले.ला. धारक के आवेदक के साथ सम्बन्ध : ....

22. मैं एतद्द्वारा प्रमाणिक करता / करती हूं

(क) (1) मेरे पास नियमित आय का कोई स्त्रोत नही है अथवा मेरे पास जीवन निर्वाह के लिए कोई आय नही है।

(2) मैं .... रू. प्रति माह .... (सरकारी विभाग / निजी निकाय / संस्थान या अन्य स्त्रोत को नाम लिखें) से पी.पी.ओ. संख्या .... आदेश संख्या .... के द्वारा पेंशन / निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहा हूं / कर रही हूं।

(ख) मैने पूर्व में वार्धव्य / विधवा / परित्यक्तता / विशेष योग्यजन पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है / नही किया है। (यदि पहले प्रस्तुत किया गया हो ता यह लिखें कि क्या वह ली है या अस्वीकृत कर दिया गया है।)

(ग) मैं राजस्थान का मूल निवासी हूं। मैं राजस्थान में गत 7 वर्षों से स्थाई रूप से निवास कर रहा हूं।

(घ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिक घात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999 (नेशनल ट्रस्ट एक्ट) के अन्तर्गत अभिभावक नियूक्ति पत्र संलग्न है।

(ड़) मेरे द्वारा सूचित उपर्युक्त समस्त विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(असंगत मदों को काट दिया जाये)

स्थान : ....

दिनांक :

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर
या दायें / बायें अंगूठे का
निशान

23. प्रमाण – पत्र

यह प्रमाण–पत्र संसद या विधानसभा नगरपरिषद / नगर पालिका बोर्ड निगम के सदस्य या पंचायत के संरपंच / पंचायत समिति के प्रधान / जिला परिषद के प्रमुख या राज्य अथवा केन्द्र के राजप्रत्रिक सरकारी अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

मैं श्री / श्रीमती .... पुत्र / पत्नी ....

की गत .... वर्षो से जानता हूं उसके पहचान के चिन्ह निचे दिये जा रहे है।

1. ....

2. ....

यह स्वस्थ चित्त / विक्षिप्त है।

इस आवेदन में दी गई विशिष्टयां मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

दिनांक :

प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति
के हस्ताक्षर और पद नाम और पूरा पता

टिप्पणी :

1. यदि पेशनर विक्षिप्त होने के कारण अपने हस्ताक्षर करने / अंगूठा में असमर्थ हो तो पेशनर का पेंशन द्वारा भरत पोषण करने का जिम्मा लेने वाला संरक्षक आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकेगा।
2. संसद सदस्य विधान सभा सदस्य प्रचायत के सरपंच पंचायत समिति के प्रधान जिला प्रमुख या राज्य सरकार के राजपत्रिक अधिकारी द्वारा संम्यक रूप से अनुप्रमाणित के आकार की फोटो की तीन प्रतियां संलग्न करें।

फोटो	फोटो	फोटो

प्रारूप एस.एस.पी 1 का भाग 2
जांच अधिकारी की रिपोर्ट

मैने नियमों के अधीन अपेक्षित आवश्यक जांच कर ली है और आवेदन में वर्णित तथ्यों के सत्यापन का परिणाम निम्नानूसार है–

(संबंधित पर सही का निशान लगाऐं)

1. आवेदक का नाम ....एवं आयु : वर्ष माह तिथि
आधार कार्ड संख्या / मतदाता पहचान पत्र संख्या / अन्य : ....
पहचान / मूल निवास ....
(1) भौतिक सत्यापन के आधार पर आयु के प्रामण के सम्बन्ध : ....
में टिप्पणी ....
(2) देखने पर अनुमानित आय : वर्ष माह
(3) गांव के जिम्मेदार व्यक्तियों, निकट सम्बन्धित, पटवारी, : वर्ष माह
पंच आदि द्वारा बताई गई आयु
2. आवेदक की समस्त स्त्रोतो से कुल वार्षिक आय एवं आय का स्त्रोत : रू. .... वार्षिक स्त्रोत : ....
(1) क्या उसकी कोई पूर्व सम्पति है, जैसे मकान, दुकान : हां नही
मशनरी कृषि भूमि आदि ?
(2) क्या उसकी कृषि, मशीनरी किराये कारोबार, व्यवस्था या : हां नहीं ....रू. .... वार्षिक
नियोजन, मजदूरी ब्याज आदि से कोई नियमित आय होती है? :
(कुल वार्षिक आय में जोड़े)
(3) अब तक उसके जीवन निर्वाह या उसकी जीवीका का स्त्रोत : ....
क्या रहा है? ....
(4) जांच के समय उसे नोटिस में लाई गई या अन्य सम्बन्धित : ....
सूचना या विशिष्टयां ....
3. आवेदक के सम्बन्धीयों का विवरण :
(1) माता / पिता, पत्नी / पति, पुत्र या नाम, उनकी आयु और आय : ....
का स्त्रोत राजकिय नियूक्ति का विवरण ....
(2) अन्य सम्बन्धी जो जीविकोपार्जन के लिये सर्वथा असमर्थ हो : हां नही
गये हो यदि हां तो निर्याग्ताओं का ब्यौरा दें। ....
....
4. कोई पेंशन, भत्ते, अनुदान वेतन आदि : :
क्या उसे कोई पेशन भत्ते अनुदान वेतन आदि से वित्तिय सहायता : हां. नही
मिलती है? यदि हां तो वेतन, पेंशन राशि भत्ते आदि का : रू. .... विवरण ....
पूर्ण ब्यौरा और प्राप्ति का स्त्रोत और अन्य आवश्यक ....
विशिष्टयां लिखें। ....
5. आवेदक के सम्बन्ध में कोई अन्य सुचना :
अ) बी.पी.एल. सर्वे संख्या आदि / अन्तोदय परिवार / आस्था कार्डः ....
धारी परिवार संक्षिप्त विवरण दें।
ब) पति के मृत्यु / परित्यता / तलाक के प्रमाण पत्र की प्रति : हां नहीं HIV+ हां नही
संलग्न है (विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा पेंशन के प्रकरण में)
स) विधवा / परित्यसक्ता / तलाकशुदा पेंशन आवेदन के सम्बन्ध : हां नहीं
में क्या आवेदक पुनः विवाह किया है?
द) परित्यक्ता महिला अपने पति से कितने वर्ष से अलग रह : हां नहीं समयावधि .... वर्ष .... माह में

7. जांच अधिकारी की सिफारीश : ....

आवेदक के परिवार के बी.पी.एल. सुची/अन्तोदय परिवार/ : ....

आस्था कार्डधारक की सुची में सुचीबद्ध रहने तक/ विधवा/ ....

....

परित्यक्ता/तलाकशुदा के पुनः विवाह नही करने तक/ आय ....

....

अनुरूप पात्रता नहीं रहने तक/ मृत्यु पर्यन्त की वृद्धावस्था/ ....

....

विधवा/ विशेष योग्यजन विशेष पेंशन स्वीकृत करने ....

....

की सिफारिश की जाती है/ नही की जाती है। मामले की ....

अस्वीकृति के निम्न कारण है।

(जो लागू नही हो उसे काट दें।)

अन्य कोई विशेष विवरण ....

....

( )

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम मय सील

क्रमांक : ....

दिंनाक :

स्थान :

प्रारूप एस.एस.पी. 1 का भाग 3

क्रमांक .... दिनांक : ....

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के ओदश

आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... को उनके पेंशन आवेदन के अनुरूप पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा रूपये .... (अक्षरे रूपये ....) की वृद्धावस्था/ विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा/ विशेष योग्यजन पेंशन एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन एवं स्वीकृति में दिये गये तथ्यों की भांति जांच कर ली गई है तथा आवेदक उस्वयं मेरे समक्ष उपस्थित हुआ या हुई जिसका मिलान कर लिया गया है जो सही है।

या

पेंशन की मंजुरी का आवेदन निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है :

....

विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी

नाम मय सील

प्रारूप एस.एस.पी. 1 का भाग 4

आय का घोषणा पत्र

(सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए)

आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सुचना (वैकल्पिक बिन्दु को चयन करें)

पेंशन को प्रकार– वृद्धावस्था विधवा/परि./तलाकशुदा विशेष योग्यजन अन्य

1. प्रार्थी का नाम .... पिता/पति का नाम श्री .... आयु ....वर्ष .... माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता ....

तह. .... जिला .... पिन

3. स्वयं/स्वयं की एवं पति/पत्नी की समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण

(1) कृषि भूमि (................) आदि से आय रू.		(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय रू.............
(3) वेतन, पेशन, भत्ते मानदेय, नियोजन मजदूरी आदि से आय रू.		(4) मशीनरी किराये, दुकान, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज लाभांश से आय रू. ....
(5) अन्य स्त्रोतों से आय रू.		कुल वार्षिक आय रू ....

मै प्रमाणित करता/करती हू कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक ....

प्रार्थी कस नाम व हस्ताक्षर

उत्तरदाशी व्यक्ति का साक्ष्य प्रमाण–पत्र

मैं शपथपूर्णक बयान करता/करती हू कि प्रार्थी प्रार्थियां .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... को भली प्रकार से जानता/जानती हू। प्रार्थी/प्रार्थियां द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा का मैं साक्षी हू। मेरी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थिया के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह
नाम ....
(पद नाम मय दिनांक)

....

नोटः (उत्तरदायी व्यक्ति यथा–संसद, सदस्य/विधासभा, सदस्य / जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पद/महापौर/उपमहापौर/नगर निगम सदस्य/नगरपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंषा करवाऐं।

प्रारूप एस.एस.पी. 1 का भाग 5

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... शपथपूर्वक उद्‌घोषणा करता/करती हूं कि मेरी/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की (जो भी लागू हो) समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रू. .... अक्षरे

रू.. है। उक्त शपथ पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है जो सही है। इसमें कोई तथ्य नही छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्‌घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम .... पिता/पति का नाम ....

आयु .... निवासी .... ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रामणीकृत किया जाता है। प्रार्थी की पहचान .... के द्वारा की गई।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी
(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार)
नोटरी पब्लिक/ ऑथ कमिशनर/अन्य प्राधिकृत अधिकारी
का नाम व पद मय मुहर

VAAGDHARA

Head Office : Village & Post Kupra, District Banswara, Rajasthan (India)
Ph. : +91-9414082643, Fax : +91-9024573411 E-mail : vaagdhara@gmail.com
State Cordination Office : E-3/145, Shyonarayan Marg, Behind Shalby Hospital, Chitrakoot, Gandhi Path, Vaishali Nagar, Jaipur(Raj) 302021 Ph: +91-141 2441490
Website : www.vaagdhara.org